भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 105

जिसका उत्तर 04 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है।

.....

आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषित जल के प्रभाव को कम करने के लिए उठाए गए कदम

105. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गयी है;

(ख) कौन-कौन से राज्यों में पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड के तत्व मौजूद हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा पानी के ऐसे आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) अपने भूजल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के एक भाग के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर देश के भूजल गुणवत्ता आंकडे तैयार करता है। इन अध्ययनों से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अलग-अलग क्षेत्रों में मानव उपभोग के लिए अनुमेय सीमा (बीआईएस के अनुसार) से अधिक भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मौजूदगी का पता चलता है। 25 राज्यों के 230 जिलों के कुछ हिस्सों में आर्सेनिक पाये जाने की सूचना मिली है और 27 राज्यों के 469 जिलों के कुछ हिस्सों में फ्लोराइड संदूषण पाया गया है। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा सूचित भूजल संदूषण प्रकृति में ज्यादातर जियोजेनिक है और वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं दर्शाते हैं जिसका अर्थ है कि ये घटक पहले से ही चट्टान या सोइल मैट्रिक्स में मौजूद हैं।

(ख): जिन राज्यों के जल में आर्सेनिक और फ्लोराइड तत्व मौजूद हैं, उनका ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग): जल राज्य का विषय होने के कारण, भूजल की गुणवत्ता में सुधार लाने और संदूषण के मुद्दे को कम करने के लिए पहल करने सहित भूजल प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। फिर भी, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कई कदम उठाए गए हैं। उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं।

i. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा संदूषण मुक्त जलभृतों के दोहन के लिए सीमेंट सीलिंग तकनीक का उपयोग करके आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का सफलतापूर्वक निर्माण किया जा रहा है और फ्लोराइड को कम करने में राज्य विभागों को तकनीकी सहायता भी प्रदान किया जा रहा है।

ii. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (एसपीसीबी/पीसीसी) के सहयोग से जल (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि जल में प्रदूषण को रोका और नियंत्रित किया जा सके।

iii. भारत सरकार, राज्यों के साथ साझेदारी में, देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को निर्धारित गुणवत्ता और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल से जल की आपूर्ति प्रदान करने के लिए अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) लागू कर रही है। जेजेएम के अंतर्गत, घरों में नल से जल की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाते समय, गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। किसी विशेष वित्तीय वर्ष में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन करते समय रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बस्तियों में रहने वाले लोगों को 10% महत्व दिया जाता है। चूंकि सुरक्षित जल स्त्रोत पर आधारित पाइप द्वारा जलापूर्ति स्कीमों की आयोजना, कार्यान्वयन और उन्हें चालू करने में विशुद्ध रूप से अंतरिम उपाय के रूप में समय लग सकता है, इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे ऐसी बस्तियों में सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करें ताकि प्रत्येक परिवार को उनकी पेयजल और खाना पकाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 8-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) की दर से पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

iv. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के एक भाग के रूप में 22 मार्च, 2017 को एक राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) शुरू किया था, जिसे अब देश में आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित 27,544 ग्रामीण बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जेजेएम में सम्मिलित कर दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

"आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषित जल के प्रभाव को कम करने के लिए उठाए गए कदम" से संबंधित विषय पर राज्य सभा में दिनांक 04.12.2023 को अतारांकित प्रश्न संख्या 105 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

आर्सेनिक प्रभावित राज्य (आंशिक रूप से प्रभावित): आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दमन और दीव, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी (कुल 25 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)।

फ्लोराइड प्रभावित राज्य (आंशिक रूप से प्रभावित): आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दमन और दीव (कुल 27 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)।